# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

## पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रा0पत्र 06/2019

**प्रार्थीः–**

श्री पाबुसिंह पुत्र श्री नवलसिंह जाति रावणा राजपुत उम्र 65 वर्ष निवासी 84 सुभाष नगर ए पाली।

**बनाम अप्रार्थीगणः–**

1. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री पाबुसिंह जाति रावणा राजपुत उम्र 40 वर्ष निवासी 84 सुभाष नगर ए पाली राजस्थान।

उपस्थितिः–

1. श्री पाबुसिंह, प्रार्थी
2. श्री राजेन्द्र सिंह अप्रार्थी

**प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007**

**–:निर्णयः–** दिनांक 21.10.2019

1. प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरा रहवासीय मकान स्थित है। अप्रार्थी प्रार्थी का जायन्दा पुत्र है एवं चार पुत्रीया है जो ससुराल जाती है प्रार्थी की धर्म पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी ने अप्रार्थी राजेन्द्र सिंह की सत्र 2002 में खौखरा, सोजत सिटी, पाली में विवाह रचाया लेकिन 5–7 माह मे ही प्रार्थीया कि शराब पिने कि लत एवं गाली गलौच करने मारपीट करने तथा अपनी पत्नी के साथ अनुचित व्यवहार करने के कारण उसका रिश्ता टुट गया उसके बाद प्रार्थी का इकलोता पुत्र होने के नाम इस आश्वासन एवं विश्वास के साथ कि किसी भी तरह अपने पुत्र अप्रार्थी का व्यवहार मे सुधार हो तथा उसकी तथा प्रार्थी कि जिन्दगी अच्छी तरह गुजरे तथा उसका वंश कि वृद्वी हो यह सोच कर प्रार्थी ने अपने पुत्र के लिए सत्र 2007–2008 के पुनः वही पुरानी हरकते करते हुए शराब पिना, अपनी पत्नि के साथ लड़ाई झगड़ा करना गाली गलौच करना साथ ही हमेशा ही बुरी तरह मारपीट करने से दुखी होकर अप्रार्थी कि पत्नी अप्रार्थी को छोड़ कर चली गई। अप्रार्थी द्वारा हमेशा आदतन शराब पिना एवं आवारा घुमने से मना करने तथा अपनी पत्नि के साथ मारपीट करने तथा गाली गलौच करने से रोकने पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के साथ भी मारपीट करने लग जाता था तथा उसके साथ कई बार लकड़ीयो एवं लातों घुसों से मारपीट करता रहता है। अप्रार्थी को उसकी पत्नी छोड़ कर जाने के बाद से ही लगातार प्रार्थी को हैरान परेशान कर रहा हैं तथा हमेशा ही प्रार्थी को जब्बरदस्ती घर से बेदखल करने

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned by CamScanner

कि धमकी देता रहता है तथा कहता है की बुढा यह घर खाली करे चले जा... रात को गला दबा कर जान से खत्म कर दुंगा मैं शराबी हुँ मेरा साथ मॉ बहीन ... गालीयॉ बोलता हैं जिसका पुरा मौहल्ला सुनता व देखता है लेकिन अप्रार्थी के शराबी ह... तथा उसका व्यवहार खतरनाक होने से सभी अप्रार्थी से डरते व मुकदर्शक बन सब कुछ देखते हैं। अप्रार्थी कि हरकतों कि वजह से तथा रोज रोज अपने पति के उपर हाथ उठाने व हैरान परेशान करने तथा गाली गलौच व धक्का मुक्की करने तथा बिच बचाव करने प्रार्थी को उसकी स्वर्गीय पत्नी के छुड़ाने तथा कई बार छुड़ाने के दौराने अप्रार्थी द्वारा अपनी माता एवं प्रार्थी कि पत्नी के साथ भी शराब पीकर मारपीट कर देता था एवं शराब पीने के द्वौरान नशे मे अपनी माता को भी कई बार छाती पे लाते घुसे मारे एवं उनके व्यवहार से दुखी हो कर के प्रार्थी कि पत्नी को आत्म हत्या के लिए मजबुर होना पड़ा। अप्रार्थी कि वजह से अब प्रार्थी कि धर्मपत्नी इस दुनिया मे नहीं है। प्रार्थी अब बिलकुल अकेला है उसकी जिन्दगी अप्रार्थी कि वजह से नरक से भी बद्तर बन गई है। प्रार्थी के स्वयं मकान में पिछले 4–5 माह से अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट करने एवं जाने से खत्म करने कि साजिस के तहत अपने घर मे भी रहना दुभर व असंभव हो गया है तथा दुसरी तरफ प्रार्थी अप्रार्थी का पिता अभिभावक एवं वरिष्ठ है वृद्ध है साथ ही हार्ट एवं बी.पी. का मरीज है, अप्रार्थी के व्यवहार से अत्यन्त दुःखी है तथा अप्रार्थी अलग अलग विभिन्न फेक्टरीज मे कार्य कर मासिक 15,000–20,000/– रू. आसानी से कमा लेता है तथा अभी हाल ही में महाराजा उम्मेद मिल्स में सर्विस पर जा रहा है वहां से भी अतिरिक्त मासिक आय 10,000–15,000/रूपये कमा लेता है। इस प्रकार मासिक 25,000–30,000/रूपयें अक्षरे पच्चीस–तीस हमार रूपये मासिक कमा देता है तथा उन रूपयों को वह अपनी मौज मस्ती एवं शराब पीने जुआ/सट्टा खेलने में लगा देता है। अप्रार्थी का अपने पिता एवं प्रार्थी का भरण पोषण एवं सार संभाल का विधिक एवं नैतिक दायित्व होते हुए भी उनसे मुँह मोड़ रहा है और हैरान परेशान कर रहा हैं, अप्रार्थी ने कभी भी प्रार्थी का भरण पोषण या सार संभाल नहीं कि है। उल्टा प्रार्थी को हरदम घर से बेदखल करने कि धमकिया देता हैं तथा हमेशा ही शराब पीकर प्रार्थी के साथ मारपीट करता रहता है तथा यह कहता रहता है की जब भी मौका मिलेगा रात मे तलवार से काट डालुंगा तथा प्रार्थी के मकान पर कब्जा कर मालिक बन जाउगा। इसी सिलसिले में प्रार्थी ने स्वयं ही अपने पुत्र अप्रार्थी के द्वारा अपने साथ हुयी हिंसा/मारपीट दुःख, पिड़ाके सम्बंध में अप्रार्थी सहित अपने मिलने वाले वरिष्ठ समाज जन को लिखित पिड़ा बयां कर सम्पूर्ण दास्तांन जो अप्रार्थी ने प्रार्थी के साथ लगातार घटित कर रहा है जो दिनांक 13.06.2019 को लिखित पत्र अप्रार्थी एवं समाज जन को प्राप्त हो चुका है। प्रार्थी द्वारा उक्त लिखित पत्र के भेजे जाने के संबंध मे तथा प्रार्थी द्वारा अपने पुत्र को अपने व्यवहार में सुधार लाने एवं सट्टा शराब छोड़ने तथा सही लाईन में चलने हेतु दिनांक 15.06.2019 को सायं को प्रार्थना करने तथा हाथा जोड़ी करने पर कि मैं प्रार्थी के मरने पर उक्त सम्पति मकान अप्रार्थी तेरा ही हैं। अप्रार्थी आप मेरे इकलोते

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned by CamScanner

वंश एवं पुत्र है। शराब पीना छोड़े तथा मुझ प्रार्थी के साथ अच्छा व्यहार करे इतना कहते ही वह गुस्सा हो गया और कहा की तु हरानी अपने आप नहीं मरेगा तुझे तो जल्दि ही मेरे हाथें से अर्थात अप्रार्थी के हाथों से मरना पड़ेगा। उक्त बात खत्म होने के बाद अप्रार्थी देर रात फूल शराब पीकर अप्रार्थी तलवार लेकर उसी रात करीब 12 बजे अप्रार्थी को चेतावनी देकर जोर जोर से शराब के नशे मे चिल्लाते हुए प्रार्थी को मा बहिन कि फायसा गालीया बोलते हुए दरवाजे के लात मारते हुए तलवार से प्रार्थी को सोते हुए को उठाते हुए उस पर तलवार से मारने हमला करने कि कोशिश कि जिस पर प्रार्थी किसी प्रकार जान बचा कर अपने घर से बाहर भागना पड़ा नहीं तो अप्रार्थी प्रार्थी को उसी रात तलवार से मार डालता। प्रार्थी उस रात से ही कभी रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड तो कभी अपनी पुत्रीयों के घर ठहरना पड़ रहा हैं तथा उसके भूख मरने कि नोबत आ गयी है। प्रार्थी के घर मे घुसना व रहना भी दुभर हो गया तथा खतरा पैदा हो गया है। अप्रार्थी प्रार्थी के जान का दुश्मन बना हुआ है तथा उसने साफ चेतावनी दि है की घर मे कदम रखा तो तलवार से काट कर रख दुंगा चाहे मुझे जेल हो जाये। प्रार्थी कि मेहनत से कमाई हुए पैसो से खरीदे हुए मकान पर अप्रार्थी कब्जा करने कि कोशिश कर रहा है तथा प्रार्थी को अपने घर मे भी नहीं घुसने दे रहा हैं जो कि प्रार्थी का विधिक हक एवं अधिकार है उसमें उपयोग एवं उपभोग तथा रहने में बाधा डाल रहा है तथा न ही चैन से रहने देता न अप्रार्थी, प्रार्थी का भरण पोषण ही करता है। उपरोक्त तारिख कि रात से ही प्रार्थी विभिन्न जगहों जैसे रेल्वे प्लेटफॉर्म, बस स्टेण्ड तो कभी अपनी पुत्रीयों एवं रिश्तेदारों, दोस्तों के यहॉ शरण लिये हुए है तथा इधर–उधर दर–दर कि ठोकरे खाने का मजबुर है जो कि इस पड़ाव उम्र दराज में असहनीय दर्द एवं दुःख भोग एवं सहन कर रहा है। जो की कदापी उचित एवं विधिनुसार न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने साथ हो रहे अपने पुत्र एवं अप्रार्थी के द्वारा अत्याचार एवं अन्याय के संबंध में अपने स्वयं के द्वारा लिखित मार्मिक हकिकत दुख वेदना को अपने पत्र मे माध्यम से जो अपने कुपुत्र अप्रार्थी को आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक संबोधन के साथ लिखा है जो कि जो कि विस्तृत विवरण प्रार्थी द्वारा लिखा गया पत्र मे है जो कि प्रार्थी के हुबहु शब्दों मे, जो कि संलग्न याचिका/प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी द्वारा उक्त पत्र अपने पुत्र एवं अप्रार्थी को मजबुरी में पूर्णतः दुःखी मन से अपने साथ हो रहे लगातार अन्याय एवं अत्याचार से पिड़ित हो कर लिखा गया हैं कि अप्रार्थी किसी तरह सुधर जावे एवं अपने पिता को जाने से खत्म नहीं करे एवं उसे चैन से प्रार्थी को प्रार्थी के घर में रहने देवे लेकिन अप्रार्थी प्रार्थी को उसके स्वयं के घर में रहने नही दे रहा है तथा घर में आने पर उसे जान से खत्म करने की लगातार धमकीया एवं समाचार भेज रहा है, दूसरी तरफ प्रार्थी दर दर कि इधर उधर कि ठोकरे खा रहा है तथा उसके भूखे मरने की नौबत आ गयी है। अप्रार्थी को प्रार्थी के रहवासीय मकान से शीघ्रतम संबंधित पुलिस थानाधिकारी पुलिस थना औद्योगिक क्षैत्र, पाली को अपने दल बल सहित शक्ति से बेदखल करने का निर्देशित एवं आदेश प्रदान करावे। प्रार्थी को गुजारे हेतु उसकी शेष जिन्दगी बसर करने हेतु मंहगाई को

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned by CamScanner

देखते हुए एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य, भरण पोषण, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में आना जाना उठना बेठना एवं उनकी पुत्रीयों के सार संभाल एवं सामाजिक धार्मिक खर्चे पेठे अप्रार्थी से 15,000/रूपयें अक्षरे पन्द्रह हजार रूपयें दिलाया जावे।

2. प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया ।

3. अप्रार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री पाबुसिंह जो कि मेरे पिताजी ने मेरे उपर मारपीट का केश दर्ज किया है कि जो सरासर गलत है। सच यह है मेरी माताजी स्वं श्रीमति उमा कंवर ओर मैं इनकी शराब पीकर मारपीट करना व रात को घर से बाहर निकालना इनका शौक था जो हम करीब 15 सालो से इनके खिलाफ थे और इन्होंने मेरी माता जी को दरवाजा बंद करके इस कदर मारपीट थी की मुझे व मेरी माताजी को पुलिस की शरण लेनी पड़ी एवं मेरी माताजी के सिर पर दो से तीन टाके आये। अतः हमे मजबूर होकर इनके खिलाफ केस दर्ज करावाना पड़ा जिस कारण इन्हे 15 दिन की जेल हुई। उसके उपरान्त इन्होने अपने व्यवहार मे कोई परिवर्तन नहीं किया और अंत मे मौका देख कर मेरी माताजी को करोसिन छिड़क कर जला दिया जिसे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। हमारे रिश्तेदार मामाजी ने मान समान समाज की प्रतिष्ठा को ध्यान मे रखते हुए किसी प्रकार का मुकदमा या केश दर्ज नहीं करावाया। जिस कारण श्रीमान अब मेरे उपर कई प्रकार के हतकण्डे अपना रहे है। श्रीमान ये शराब पीकर कई बार मुझ पर झुठा चोरी का आरोप अगवाया। जिससे मुझे परेशान होकर घर छोड़ना पड़ा। मैं मुम्बई चला गया। इसके इस व्यवहार के कारण मेरी छोटी बहिन किसी लड़के के साथ भाग गई। जिस कारण मुझे वापस आना पड़ा और मे उसके ससुराल जाकर उसका फैसला करवाकर वापस लेकर आया लेकिन उपर कोई प्रकार फर्क नहीं पड़ा। अंत मे वो भी परेशान होकर गई और मैं भी वापस बैंगलौर चला गया।

4. प्रार्थी ने अपने परिवाद के समर्थन मे श्री गणपत सिंह पुत्र श्री मोहनसिंह कोम रावणा राजपुत निवासी जनता कॉलोनी पाली और श्री श्याम लाल पुत्र श्री हरकाजी निवासी 180, सुभाष नगर ए पाली बयान भी करवाये जिसमें बयानात बताया कि करीब 4 से 5 वर्ष से श्री पाबूसिंह और उसके पुत्र श्री राजेन्द्र के बीच मनमुटाव चल रहा है आपस मे वाद विवाद किस कारण से है इसका कारण पता नहीं है। पिता व पुत्र सामाजिक व्यवहार और रिती रिवाज के अनुसार रहे तथा पुत्र पिता की सेवा करें।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा हमेशा आदतन शराब पिना एवं आवारा घुमने से मना करने तथा अपनी पत्नि के साथ मारपीट करने तथा गाली ग्लौच करने से रोकने पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के साथ भी मारपीट करने लग जाता

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned by CamScanner

वंश एवं पुत्र है। शराब पीना छोड़े तथा मुझ प्रार्थी के साथ अच्छा व्यहार करे इतना कहते ही वह गुस्सा हो गया और कहा की तु हरानी अपने आप नहीं मरेगा तुझे तो जल्दि ही मेरे हाथें से अर्थात अप्रार्थी के हाथों से मरना पड़ेगा। उक्त बात खत्म होने के बाद अप्रार्थी देर रात फूल शराब पीकर अप्रार्थी तलवार लेकर उसी रात करीब 12 बजे अप्रार्थी को चेतावनी देकर जोर जोर से शराब के नशे मे चिल्लाते हुए प्रार्थी को मा बहिन कि फायसा गालीया बोलते हुए दरवाजे के लात मारते हुए तलवार से प्रार्थी को सोते हुए को उठाते हुए उस पर तलवार से मारने हमला करने कि कोशिश कि जिस पर प्रार्थी किसी प्रकार जान बचा कर अपने घर से बाहर भागना पड़ा नहीं तो अप्रार्थी प्रार्थी को उसी रात तलवार से मार डालता। प्रार्थी उस रात से ही कभी रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड तो कभी अपनी पुत्रीयों के घर ठहरना पड़ रहा हैं तथा उसके भूख मरने कि नोबत आ गयी है। प्रार्थी के घर मे घुसना व रहना भी दुभर हो गया तथा खतरा पैदा हो गया है। अप्रार्थी प्रार्थी के जान का दुश्मन बना हुआ है तथा उसने साफ चेतावनी दि है की घर मे कदम रखा तो तलवार से काट कर रख दुंगा चाहे मुझे जेल हो जाये। प्रार्थी कि मेहनत से कमाई हुए पैसो से खरीदे हुए मकान पर अप्रार्थी कब्जा करने कि कोशिश कर रहा है तथा प्रार्थी को अपने घर मे भी नहीं घुसने दे रहा हैं जो कि प्रार्थी का विधिक हक एवं अधिकार है उसमें उपयोग एवं उपभोग तथा रहने में बाधा डाल रहा है तथा न ही चैन से रहने देता न अप्रार्थी, प्रार्थी का भरण पोषण ही करता है। उपरोक्त तारिख कि रात से ही प्रार्थी विभिन्न जगहों जैसे रेल्वे प्लेटफॉर्म, बस स्टेण्ड तो कभी अपनी पुत्रीयों एवं रिश्तेदारों, दोस्तों के यहॉ शरण लिये हुए है तथा इधर–उधर दर–दर कि ठोकरे खाने का मजबुर है जो कि इस पड़ाव उम्र दराज में असहनीय दर्द एवं दुःख भोग एवं सहन कर रहा है। जो की कदापी उचित एवं विधिनुसार न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने साथ हो रहे अपने पुत्र एवं अप्रार्थी के द्वारा अत्याचार एवं अन्याय के संबंध में अपने स्वयं के द्वारा लिखित मार्मिक हकिकत दुख वेदना को अपने पत्र मे माध्यम से जो अपने कुपुत्र अप्रार्थी को आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक संबोधन के साथ लिखा है जो कि जो कि विस्तृत विवरण प्रार्थी द्वारा लिखा गया पत्र मे है जो कि प्रार्थी के हुबहु शब्दों मे, जो कि संलग्न याचिका/प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी द्वारा उक्त पत्र अपने पुत्र एवं अप्रार्थी को मजबुरी में पूर्णतः दुःखी मन से अपने साथ हो रहे लगातार अन्याय एवं अत्याचार से पिड़ित हो कर लिखा गया हैं कि अप्रार्थी किसी तरह सुधर जावे एवं अपने पिता को जाने से खत्म नहीं करे एवं उसे चैन से प्रार्थी को प्रार्थी के घर में रहने देवे लेकिन अप्रार्थी प्रार्थी को उसके स्वयं के घर में रहने नही दे रहा है तथा घर में आने पर उसे जान से खत्म करने की लगातार धमकीया एवं समाचार भेज रहा है, दूसरी तरफ प्रार्थी दर दर कि इधर उधर कि ठोकरे खा रहा है तथा उसके भूखे मरने की नौबत आ गयी है। अप्रार्थी को प्रार्थी के रहवासीय मकान से शीघ्रतम संबंधित पुलिस थानाधिकारी पुलिस थना औद्योगिक क्षैत्र, पाली को अपने दल बल सहित शक्ति से बेदखल करने का निर्देशित एवं आदेश प्रदान करावे। प्रार्थी को गुजारे हेतु उसकी शेष जिन्दगी बसर करने हेतु मंहगाई को

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned by CamScanner

था तथा उसके साथ कई बार लकड़ीयो एवं लातों घुसों से मारपीट करता रहता है। अप्रार्थी को उसकी पत्नी छोड़ कर जाने के बाद से ही लगातार प्रार्थी को हैरान परेशान कर रहा हैं तथा हमेशा ही प्रार्थी को जब्बरदस्ती घर से बेदखल करने कि धमकी देता रहता है। अप्रार्थी के व्यवहार से अत्यन्त दुःखी है तथा अप्रार्थी अलग अलग विभिन्न फेक्टरीज मे कार्य कर मासिक 15,000–20,000/– रू. आसानी से कमा लेता है तथा अभी हाल ही में महाराजा उम्मेद मिल्स में सर्विस पर जा रहा है वहां से भी अतिरिक्त मासिक आय 10,000–15,000/रूपये कमा लेता है। इस प्रकार मासिक 25,000–30,000/रूपयें अक्षरे पच्चीस–तीस हमार रूपये मासिक कमा देता है तथा उन रूपयों को वह अपनी मौज मस्ती एवं शराब पीने जुआ/सट्टा खेलने में लगा देता है। अप्रार्थी का अपने पिता एवं प्रार्थी का भरण पोषण एवं सार संभाल का विधिक एवं नैतिक दायित्व होते हुए भी उनसे मुँह मोड़ रहा है और हैरान परेशान कर रहा हैं, अप्रार्थी ने कभी भी प्रार्थी का भरण पोषण या सार संभाल नहीं कि है। प्रार्थी को गुजारे हेतु उसकी शेष जिन्दगी बसर करने हेतु मंहगाई को देखते हुए एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य, भरण पोषण, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में आना जाना उठना बेठना एवं उनकी पुत्रीयों के सार संभाल एवं सामाजिक धार्मिक खर्चे पेठे अप्रार्थी से 15,000/रूपयें अक्षरे पन्द्रह हजार रूपयें दिलाया जावे।

अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि मैं अपने पिता को साथ मे रखने को तैयार है तथा इनके भरण पोषण की राशि देने को तैयार है तथा इनकी सेवा चाकरी करने हेतु तैयार हुँ।

6. उभयपक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री पाबुसिंह जाति रावणा राजपुत प्रार्थी श्री पाबुसिंह का पुत्र है। तथा इनकी भरण पोषण की जिम्मेदारी बनती है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 अधिनियम के तहत प्रार्थी अपने पुत्र से भरण–पोषण प्राप्त कर सकता है। प्रार्थी की वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीया को दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः अप्रार्थी की आर्थिक स्थिति को ध्यान रखते हुये यह आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी का यदि बैंक/पोस्ट ऑफिस में खाता नहीं हो तो खाता खुलवा कर प्रति माह 5,000/– रूपये अक्षरे पांच हजार रूपये बतौर भरण–पोषण के जमा करवावें। बैंक/पोस्ट ऑफिस में उक्त राशि जमा करवा कर रसीद अपने पास बतौर सबूत रखें। उक्त रूपये समय पर प्रार्थी के बैंक/पोस्ट ऑफिस के खाते मे जमा करावें तथा किसी प्रकार की कोताही नहीं बरते तथा पुत्र व पिता की तरह सामाजिक, पारिवारिक जीवन निर्वाह करें एवं प्रार्थी की सेवा चाकरी करें। आदेश की अवहेलना करने पर अप्रार्थी के विरूद्ध माता–पिता एवं वरिष्ठ

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned by CamScanner

नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जा सकेगी।

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned by CamScanner